करेगी, निर्णय लेगी और नेशनल डेवलपमेंट को वैसे ही डाइरेक्ट करेगी कि शेष बचे बिहार के लिए क्या-क्या करने की जरुरत है ।

महोदया, मैं आपका भी आभारी हूं कि आप ने मुझे यह संकल्प रखने और सदन को इस पर चर्चा करने का मौका दिया । और मैं आभारी हूं पूरे सदन के अपने और साथियों का जिन्होंने इस संकल्प में मेरी मदद की । मैं आभारी हूं मंत्री महोदय का, सरकार का, जिन्होंने इस संकल्प को पढ़कर आगे के लिए एक ऐश्योरेंस दी कि हम कर रहे हैं और भी जो कुछ करना होगा, वह भी करेंगे ।

इन सब चीजों को देखकर सुनकर, उपसभापति महोदया, मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं । धन्यवाद ।

The Resolution was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the Resolution of Shri Nagendra Nath Ojha.

CENTRAL LEGISLATION FOR WELFARE OF AGRICULTURAL WORKERS

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार)**:** उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"कृषि श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में सुधार करने और उनकी कार्य दशाओं को विनियमित किए जाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, यह सभा संकल्प करती है कि केन्द्रीय सरकार को कृषि कर्मकारों के कल्याण के लिए दीर्घावधि से लम्बित केन्द्रीय विधान को अविलम्ब अधिनियमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए ।"

उपसभापति महोदया, मैं आभारी हूं कि मुझे आज इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का मौका मिला । पांच वर्षों के दौरान यह दूसरा मौका है जब यह लिस्टिड हुआ था, पिछली कई बार मुझे इसे प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिला था, अब मौका मिला है ।

महोदया, इसे प्रस्तुत करते हुए मैं कुछ बातें सदन में रखना चाहता हूं । 1998 में इस सदन में खेत मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून बनाने के बारे में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस हुई थी और उसमें आपकी टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण थी । मैंने गिनती की थी, उस बहस के दौरान आपने 20 से ज्यादा बार हस्तक्षेप किया था और अंत में आपने एक शेर भी कहा था:-

जिस खेत से देहकां को मयस्सर न हो रोजी,

उस खेत के हर खोशा-ए-गन्दुम को जला दो ।

जो बहस हो रही थी, उसमें अंत में हस्तक्षेप करते हुए आपने यह कहा था और मंत्री जी, श्रम मंत्री, श्री अरुणाचलम जी थे, आपने उन्हें इस शेर का अर्थ भी समझाया था ।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी (झारखण्ड)**:** मगर वे नहीं समझ सके ।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा: और आपने उन्हें समझाते हुए यह भी कहा था कि मैं नहीं चाहती कि खेत को जला दिया जाए, इसलिए कानून लाया जाए और मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि इसी सत्र में यह कानून बनेगा बशर्ते कि यह सदन इसे मान जाए और उम्मीद की गई थी कि 1998 में ही वह कानून बन जाएगा, लेकिन वह नहीं बना ।

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि उसी वर्ष यानी 1998 को ही श्रम मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल को एक नोट भेजा था, केबिनेट नोट भेजा था इसी विषय पर और उस केबिनेट नोट में, कहीं पढ़ा था अखबार में, इसका भी उल्लेख किया गया था कि खेत मज़दूरों के लिए अभी तक जितने कानून बने हैं, वे खेत मज़दूरों के हितों की रक्षा करने में अक्षम हैं । इसलिए खेत मज़दूरों के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाया जाना जरुरी है । तो हमारा श्रम मंत्रालय इस राय का है कि खेत मज़दूरों के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाए । इस सदन में श्रम मंत्री आश्वासन देते हैं कि यह कानून बनाया जाएगा, सरकार कानून बनाने के लिए प्रतिबद्व है । सरकार बदल गई, उसके स्थान पर अब एक दूसरी सरकार है । महोदया, सरकार बदलने से प्राथमिकताएं बदल सकती हैं लेकिन सरकार की प्रतिबद्वता नहीं बदल सकती है । अगर 1998 में यह कहा गया कि सरकार प्रतिबद्व है तो हम समझते हैं कि आज भी सरकार प्रतिबद्ध है और यह सरकार वह कानून बनाने के लिए शीघ्र कदम उठाए । यह प्रश्न खेत मजदूरों से संबंधित कानून बनाने का है ।

[उपसभाध्यक्ष(श्री अन्नतराय देवशंकर दवे) पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सदन जानता है कि हमारे देश का सबसे शोषित तबका खेत मजदूरों का है और इनकी आबादी देश की आबादी का एक चौथाई हिस्सा है । अगर हम ग्रामीण आबादी को देखें तो ग्रामीण आबादी मे इनकी आबादी एक तिहाई है । आज कार्यरत खेत मजदूरों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है । इतने लोगों की यह मांग है, इतने लोगों का यह सवाल है । इसलिए यह कानून निश्चित रुप से बनाया जाना चाहिए ।

महोदय, हमारी जनतांत्रिक प्रणाली में जनता की, जनता द्वारा , जनता के लिए सरकार है लेकिन इतनी विशाल जनता क्या सचमुच में आज सोच रही हैं या समझ रही है कि यह उनकी भी सरकार है ? वह जनता जो देश की आबादी का एक चौथाई हिस्सा हैं, हम समझते हैं कि वह ऐसा नहीं समझ रही है । अगर वह कानून का अर्थ समझती है तो वह यही समझती है कि हमारे देश मे कानून ऐसा है कि अगर हम मांग करें, फोर्सफुली मांग करें तो पुलिस आ सकती है, हमें पकड़कर ले जा सकती है, हाथ में हथकड़ी डाल सकती है, जेल के सींखचों के पीछे डाल सकती है और तब हमें जेल के अंदर बंधुआ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और पता नहीं कब उससे निजात मिलेगी और कितने दिनों के बाद न्याय मिलेगा । अगर वे कुछ समझते हैं तो यही समझते हैं कि हमारे घर में लूटपाट हो सकती है, हमारे घर जलाए जा सकते हैं, हमारी बहू-बेटियों के साथ बलात्कार हो सकता है, यहां तक कि ऐनकाउंटर दिखाकर पुलिस उनकी हत्या कर सकती है या जमींदार के गुंडे उनकी हत्या कर सकते हैं । अगर वे इस व्यवस्था में अपनी स्थिति के बारे में कुछ समझते हैं तो यही समझते हैं और यह सही है कि अभी तक जितने भी कानून हैं, कानूनों का जंगल हमारे देश में है लेकिन उन कानूनों को वे अपना नहीं समझते हैं । इसलिए आज वे मांग कर रहे हैं, देश की इतनी बड़ी आबादी मांग कर रही है कि उनके लिए देश में कोई कानून नहीं है, इसलिए उनके लिए कानून बनाना चाहिए । उनकी यह भावना है कि न्यूनतम मजदूरी कानून को छोड़कर कोई दूसरा कानून देश में हमारे लिए नहीं है, इसलिए हमारे लिए यह कानून बनना चाहिए । अगर यह कानून बनना है तो इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उनका इस व्यवस्था में विश्वास जमेगा । तब वे समझ सकते हैं कि उनके लिए भी एक कानून है और उस कानून का इस्तेमाल करके वे अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं । यह ठीक है कि सबको राजनीतिक बराबरी का हक मिला है लेकिन आज भी 50 बरसों की आजादी के बाद भी समाजिक और आर्थिक जीवन में वे बराबरी पर नहीं आए हैं । महोदय 26 जनवरी 1960 को

संविधान सभा की ओर से कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को पॉयलट करते हुए डा. अम्बेडकर जी ने जो कहा था, मैं उसको क्वोट करना चाहता हूं -

> *We are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality, and in social and economic life we shall have inequality. How long shall we continue to deny equality in social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so by putting our democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else, those who suffer from inequality will blow up the structure of democracy which the Assembly has so laboriously built up.*

ये शब्द डा. अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को कहे थे। हम समझते हैं कि वह स्थिति आज भी कायम हैं। वह असमानता समाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आज भी कायम हैं और हम समझ सकते हैं कि किस तबके की तरफ इशारा करते हुए डा. अम्बेडकर ने यह वार्निंग दी थी। हम समझते हैं कि अगर हम कानून बनाते हैं यह विचार करते हुए कि सामाजिक और आर्थिक जीवन में जो गैर बराबरी है और इस क्षेत्र में सबसे नीचे दबी हुई खेत मजदूरों की आबादी है तो हम समझते हैं कि डाक्टर अम्बेडकर की भावना की कदर करेंगे,हम समझते हैं कि अपनी डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए हम कदम उठाएंगे। यह कोई खेत मजदूरों को भीख देने की बात नहीं है। हमारे संविधान ने जो वायदा किया है, हमारी डेमोक्रेसी का जो फर्ज बनता है उस दिशा में यह एक कदम होगा। महोदय, यह मामला भी लम्बे समय से पड़ा हुआ है। इतनी बहस करने की भी और कहने की भी जरुरत नहीं है। हम समझते हैं कि केरल के अंदर 1974 में खेत मजदूरों के लिए केरल एग्रीकल्चर वर्कर्स ऐक्ट अस्तित्व में आया। तब से केन्द्र स्तर पर, सरकार के स्तर पर यह मामला विचाराधीन है। सदन में मैं कह सकता हूं कि मई, 1974 में स्टेंडिंग कमेटी की दूसरी बैठक में केन्द्रीय कानून की आवश्यकता का रेखांकित किया गया। मैं कह सकता हूं कि 1975 में विभिन्न राज्यों के श्रम मंत्रियों के 26वें सम्मेलन में केरल में खेत मजदूरों के लिए बनाए गए कानूनों की सराहना की गई और सुझाव दिया गया कि देश भर के खेत मजदूरों के लिए एक तरह का कानून बनाया जाना चाहिए। जनवरी 1978 में सरकार के ग्रामीण असंगठित मजदूरों के मुद्दे पर बुलाए गए राष्ट्रीय सम्मेलन में खेत मजदूरों के कल्याण और सुरक्षा के मद्देनजर एक केन्द्रीय कानून बनाने पर विचार किया गया था। सितम्बर 1978 में असंगठित मजदूरों के लिए केन्द्रीय स्थाई समिति का गठन किया गया और उसे केन्द्रीय कानून के प्रारुप बनाने के संदर्भ में सलाह देने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उस समिति ने अपना काम किया। 1981 में इस विधेयक के प्रारुप पर श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया लेकिन विधेयक के प्रारुप को लेकर कोई राय कायम नहीं की जा सकी थी। इसी तरह से दिसम्बर, 1986 में श्रम मंत्रियों से सम्बद्व संसदीय सलाहकार समिति की एक उपसमिति का गठन किया जिस उप समिति के कंवीनर हमारे ही सभा के सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त जी थे जो रिटायर्ड हो गए हैं। उस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी और उस समिति ने भी इसकी अनुशंसा की। इसी तरह से 7 नवम्बर 1988 को श्रम मंत्रियों के 37वें सम्मेलन मे खेत मजदूरों के लिए कानून बनाने के संबंध में विचार किया गया। इस सम्मेलन की आम राय यह थी कि खेत मजदूरों की वास्तविक समस्या को ध्यान में रखते हुए यह कानून बनाने पर विचार किया जाए। इस तरह से मुझे ब्यौरेवार विवरण देने में समय लगेगा लेकिन कोई ऐसा

वर्ष नहीं है, हर एक साल के अंतराल पर सरकारी स्तर पर, पार्लियामेंट्री कमेटियों के स्तर पर, श्रम विभाग के अंतर्गत, श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के अन्तर्गत जो समय-समय पर होते रहे वहां यह विषय आता रहा और इस पर कोई दो राय नहीं थी कि उनकी समस्याओं से निजात पाने के लिए एक कानून की आवश्यकता है । बराबर इस तरह की बातें की जाती रही । 19175 से 1998 तक आप चले आइए, 1998 में इसी हाऊस में आश्वासन दिया गया और तब से इस मामले पर इतने दिनों से विचार विमर्श हो रहा है, 25 वर्षों से इस पर विचार विमर्श हो रहा है । यह खेत मजदूरों का जो तबका है जिसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग है, ओ.बी.सीज. के लोग हैं, हमारे समाज के सबसे दलित , पीड़ित, सामाजिक और आर्थिक रुप से पिछडे लोग है उनका 25 वर्षों से यह मामला लम्बित है । अगर यह दूसरे तबके का मामला होता तो इतने काल से यह क्या लम्बित होता ? खेत मजदूरों के बीच में, उनके बीच काम करने वाले लोगों के बीच में यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह सरकार किस की है ? जिस समस्या को स्वीकार किया जाता है, जिसको कानून बनाने के लिए हाऊस के अंदर आश्वासन दिया जाता है तथा यह कहा जाता है कि अविलम्ब यह कानून बनेगा, जल्द यह कानून बनेगा । 25 वर्षो के अंदर यह जल्द समय पूरा नहीं होता है तो आखिर यह सरकार किसकी है ? हम समझते हैं कि अगर यह सरकार देश के एक चौथाई हिस्से को समझाना चाहती है कि यह तुम्हारी भी सरकार है तो खेत मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून बनाना नितांत जरुरी है । महोदय, हम इनकी समस्याओं को देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है । हम देखते हैं कि इनकी हत्याएं हो रही हैं । अभी हाल ही में राज्य सभा के अंदर एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि खेत मजदूरों के बीच में अनुसूचित जातियों की संख्या विशाल है, देश के अंदर उनकी कितनी हत्याएं हो रही हैं, केवल 12,13 ऐसे राज्य पाये गए हैं जहां 2600 के लगभग हत्याएं हुई हैं । इसी तरह से हजारों रेप के केसेज हैं जो 5,7,10 राज्यों के अन्दर विशाल संख्या में घटित हो रहे हैं । इसी तरह से जुल्म हैं । आप कह सकते हैं, यह सरकार कह सकती है कि जुल्म के लिए जुल्म रोकने वाला कानून है, गरीबी रोकने के लिए ये रोजगार योजनाएं हैं,यह योजना है, यह योजना है । आप हमें अनेक तरह की योजनाओं के नाम गिना सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अत्याचार को रोकने के लिए कानून है और वह 1989 से अस्तित्व में है, लेकिन 1995 से 2000 के बीच में हमारे देश में केवल अनुसूचित जातियों और जनजाति को छोड़ दीजिए, ओबीसी के खेत मजदूरों को छोड़ दीजिए तो 2600 से ज्यादा हत्याएं उनकी हुई हैं, कानून इनकी हत्याओं को रोकने में असमर्थ है । आपकी रोजगार योजनाएं हैं । हम उनकी रोजगार की स्थिति को देखें तो आपकी रोजगार योजनाएं दो दशकों से चल रही हैं तो शायद ही इनसे 10 प्रतिशत से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं । वे लोग आज भी बेरोजगारी की हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं । आप कह सकते हैं कि अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जो उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए दो दशक से अस्तित्वमान हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1993 के बाद से तो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में कोई कमी आने का नाम ही नहीं है । लेकिन 1951-52 से तुलना करके आज हम स्थिति को देखे तो जितनी संख्या में लोग 1952 में गरीबी की रेखा से नीचे थे, गरीब थे, उतनी ही संख्या , अगर सरकारी आंकड़ों को लें तो बहुत ज्यादा का अंतर उनमें नहीं है, लगभग उतनी ही संख्या आज भी गरीबी की रेखा के नीचे है। जब हम दो दशक से गरीबी मिटाने के लिए रुरल डेवलपमेंट के नाम पर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के नाम पर , सामाजिक उत्थान के नाम पर, तरह-तरह के नामों पर करोड़ों रुपया खर्च करने का दावा करते हैं, फिर भी खेत मजदूरों की स्थिति मे कोई सुधार नहीं हुआ है । वे आर्थिक और सामाजिक रुप से, सांस्कृतिक रुप से सबसे ज्यादा पीछे हैं । 1950 के

4.00 P.M.

बाद से अब तक आप अपनी शिक्षा प्रणाली पर गर्व कर सकते हैं, आप गर्व कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रेजुएट हमारे देश के अंदर पैदा हो रहे हैं। आप गर्व कर सकते हैं कि साफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमारा देश दुनिया की होड़ में आगे निकल रहा है। इस सब का आप दावा कर सकते हैं, लेकिन देश के अंदर निरक्षरों की संख्या को देखिए और फिर देखिए कि विशाल संख्या हमारे देश में किन निरक्षर लोगों की हैं तो आप पायेंगे कि वे खेत मजदूरों के बीच में से आते हैं। उनके लिए सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आया है। इक्का दुक्का कहीं उनकी बस्तियों में लोग मिडिल पास, मैट्रिक पास, ग्रेजुएट मिल जायेंगे और उनकी भी हालत आज बदहाली में है। आपने जितनी विकास योजनाओं को चालू किया है, इनका रिजल्ट, इनका परिणाम यह है, मैं बिल्कुल निगेटिव रुप में, नकारात्मक रुप में इसको नहीं देखता हूं, लेकिन हमारे संविधान के अंदर आर्थिक , सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बराबरी का वायदा है उसे अगर हम ध्यान में लाते हैं तो खेत मजदूरों का तबका, ग्रामीण गरीबों का तबका, भूमिहीनों का तबका सबसे दलित और पीड़ित है। उनके उत्थान के लिए आज देश के अंदर खेत मजदूर आंदोलन के बीच से अगर कोई महत्वपूर्ण मांग उठ रही है तो वह यह कि इनके लिए एक केन्द्रीय कानून बनाया जाए और इसकी जब हम मांग कर रहे हैं, वे मांग कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कानून बन जाने से रातों रात हमारी स्थिति में सुधार आ जाएगा। लेकिन वे समझते हैं कि कानून बन जाने से हमारे हाथ में एक हथियार मिलेगा जिससे कि हम कह सकेंगे कि मेरे लिए एक कानून है और उसे लेकर हम लड़ सकेंगे और उसे लेकर हम अपनी स्थिति में सुधार कर पायेंगे।

महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि यद्यपि यह मामला 1975 से लंबित है। बार-बार सदन में वायदा किया गया है, यह भी मैं याद दिला दूं कि 1980 में लोक सभा के अंदर भी इसी आशय का रिजोल्यूशन पेश किया गया था। और 1980 में भी तत्कालीन सरकार के श्रम मंत्री ने कहा था कि यह कानून जल्द ही बनेगा, कब से यह मामला लम्बित है, इस पर हम गौर करेंगे। लेकिन आज कृषि के क्षेत्र में जो नयी नीतियां लागू की जा रही हैं, कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहे हैं, हम समझते हैं कि इससे किसानों की समस्या के साथ साथ खेत मजदूरों की समस्या भी ज्यादा दुरुह और ज्यादा गंभीर होगी। इसे देखते हुए उनके लिए आज अगर कोई केन्द्रीय कानून बनाने जैसी जो मांग है, अगर वह मांग पूरी नहीं की जाती है तो उनकी हालत और बदतर होगी और अभी तक जितनी राशि उनके विकास के नाम पर, उनके उत्थान के नाम पर खर्च की गयी है, वह सारी बेकार हो जाएगी। इसीलिए मेरा निवेदन है कि यह सरकार इस कानून को शीघ्र बनाए। यह सरकार और कोई भी सरकार जो पिछले बरसों में रही है , वे सब एक बहाना बनाती है कि राज्य सरकारों के बीच मतैक्य नहीं है। इस बात का बहाना बनाकर इस कानून के लिए जो श्रम मंत्रालय के पास बिल है, उस बिल को संसद के अंदर पेश नहीं किया जाता है। महोदय, यह सही है, कि राज्य सरकारों के बीच मतैक्य नहीं है और कुछ ऐसी राज्य सरकारें हैं जिनके नुमाइंदे बोलते हैं कि इस कानून के बनने के बाद सड़कों पर खून बहेगा। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी राज्य सरकारें भी हैं जो कहती हैं कि हमारे राज्य में मजदूर हैं ही नहीं, उनकी कोई समस्या नहीं है और वहां खेत मजदूर मिलते ही नहीं हैं , खेत मजदूरों का अभाव है। इस तरह के तर्क राज्य सरकारें दे सकती हैं लेकिन यह राज्य सरकारों का मामला नहीं है, संविधान के अंदर बराबरी का जो सिद्वांत पेश किया गया, जो नीति निदेशक तत्व

हैं, वे राज्य सरकारों का मामला नहीं है, यह केन्द्र सरकार का मामला है । हमारे समाज में जो दलित , पीड़ित और शोषित हैं, उनकी रक्षा का भार , उनके उत्थान का भार केन्द्रीय सरकार पर है । यह विषय राज्य सरकार का हो सकता है लेकिन कम से कम एक मॉडल कानून बनाने में केन्द्र सरकार के क्या दिक्कत है ? महोदय, कुछ राज्य सरकारें अपनी भिन्न राय रख सकती हैं । राज्य सरकारों के बारे में केन्द्रीय सरकार को बहुत उम्मीद थी । सम्भवतया 1982 में ही इस मामले को राज्य सरकारों को सौंप दिया गया था कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो अलग से केरल के मॉडल पर या केरल का अनुकरण करते हुए यह कानून बना सकती हैं लेकिन केरल के बाद सिर्फ त्रिपुरा की सरकार ने खेत मजदूरों के लिए अलग से कानून बनाया, किसी दूसरे राज्य ने नहीं बनाया । 12-13 साल का यह अनुभव है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से कहती हैं कि अगर वे चाहें तो कानून बना सकती हैं और दो राज्य सरकारों के अलावा किसी ने कानून नहीं बनाया तो यह जिम्मा केन्द्र सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए । इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार का श्रम मंत्रालाय अगर इस राय का है कि इस कानून का बनना जरुरी है तो हम नहीं समझते हैं कि किसी प्रकार की दिक्कत है । मुझे लगता है कि यह सरकार समझती हैं कि अगर इनकी मांग को हम नहीं मानेंगे तो ये हमारा क्या कर लेंगे । इस तरह से किसी विशाल वर्ग को जो हमारे देश का एक मेहनतकश हिस्सा है, उसे इस तरह से नजरअंदाज करने की मिसाल पेश नहीं करनी चाहिए और यह राष्ट्र के हित में उचित नहीं होगा । इतना कहकर मैं प्रार्थना करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को पास करे और सरकार इस बिल को जो लम्बे समय से लम्बित है, अविलम्ब पेश करे और खेत मजदूरों के लिए व्यापक केन्द्रीय कानून बनाए जाएं जिसमें उनके ट्रेड यूनियन अधिकार की गारंटी हो, उनके रोजगार की गांरटी हो, उनके लिए पेंशन की गांरटी हो, उनके लिए कल्याण कोश की व्यवस्था हो, उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था हो, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए अलग शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था हो और उनके अधिकारों से संबंधित सारे प्रावधानों से युक्त एक व्यापक केन्द्रीय कानून यह सरकार बनाए । इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं ।

The question was proposed.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa): Mr. Vice-Chairman, Sir, just like the other Members have done, I would like to congratulate the mover of this Resolution for having brought this important Resolution. I would also congratulate him on his very eloquent speech that really shows his genuine commitment to the cause of the weaker sections, in general, and the agricultural labour, in particular.

The weaker sections are those sections of the society who have as much talent and ability as anybody else, but who remain weak because of lack of opportunities to bring their talent and their ability to fruition --lack of opportunities in terms of health facilities, in terms of proper food and nutrition, in terms, particularly, of education, and, in fact, in terms of the overall infrastructure in the areas where they live and grow.

The hon. Member, the mover of the Resolution, wants us to bring a new legislation. I fully support him. But what I would like to say here is that the legislation that is already there -- about the implementation of which the Supreme Court has asked the Government again and again --remains unimplemented. The problem with our country is not so much of lack of laws; it is one of lack of implementation of laws. Therefore, I want to bring, at the very outset, the problem of bonded labour to the attention of this hon. House.

What is bonded labour? The traditional concept is that a bonded labourer is one who is almost in the form of slavery to somebody else. But the Supreme Court has defined it in more than one case. I will cite the cases of People's Union for Democratic Rights and Others vs. the Union of India and Others, of 1982, and the Bandhua Mukti Morcha vs. the Union of India and Others, of 1984. The Supreme Court has decided that, apart from the conventional concept of bonded labour, all those labour to which the minimum wages are not paid are also within the concept of bonded labour. Now, the minimum wages vary from State to State and are fix*d after understanding the ability of the employers to pay. But, in spite of the minimum wages being fixed statutorily and being enforceable, the minimum wages are not being paid very often. Therefore, we have the following position. In India, we have 65 million bonded child labour -- which is even worse -- and 350 million adult labour living a life of bondage in contemporary forms of slavery. Child labour in the age group of 5 to "14 years is rampant, not only in agriculture, but also in other places like quarries, brick kilns, which are very hazardous and tough jobs. It is tragic, and I will mention that the distance between the speeches that we make here and the deed is big because, just now, we have our Parliament Library building being built here and there are labourers there who are bonded labourers and to whom minimum wages are not being paid. Mr. Minister, you kindly investigate it Since ' am working on this question of bonded labour, I will request the hon. Minister to look into what is happening in the Parliament premises. As far as the construction of the Parliament Library is concerned, what is the condition of the workers who are employed there? What are the wages being paid to them? How much child labour is employed there? If we cannot do it here, what are we talking about[7] Therefore, Sir, I would request the hon. Minister to please ensure, firstly, that legal provisions concerning child labour are strictly implemented. There are several provisions. There are several Acts. 1 have the list here, but I do not want to waste the time of the House by referring to them. But I

would like to say that there are two main Acts concerning bonded labour and concerning abolition of bonded labour. Apart from that, there are international conventions of ILO and others to which we are a signatory. All these Acts are not being implemented because of lack of political will. Therefore, we have these millions and millions of people, including children working as bonded labour, without getting the minimum wages.

Since I am deeply concerned with this matter and, I am' sure, everybody in this House is deeply concerned with this matter, I would request the hon. Minister to proceed with my work on this subject. You kindly send me a note on this as to what the position is, during the intersession period, so that I can also collaborate and cooperate with the Minister. I say this because this is not a question of party. These are fundamental questions, and, on these fundamental questions -- at least, on this fundamental question -- I am sure, all of us feel as one and, therefore, I offer my unstinted cooperation to the Minister and to the Government in eliminating and eradicating, in the first instance, the bonded labour, as far as children are concerned. Sir, that is the position, as far as the bonded labour is concerned. I want to make one more point, and that concerns the agricultural labour, in general. The plight of agricultural labour is terrible at this point of time. The agricultural labour and marginal farmers are committing suicide. The marginal farmers are committing suicide because the prices of agricultural commodities have collapsed. I, myself, am a farmer. I have a small farm and I can say from my own experience, in my own area, that the prices of coconut have collapsed completely, from Rs.8 to Rs.2. The prices of arecanut, which is the other major crop in my area, have collapsed from Rs. 150 per kilogram to Rs.50 per kilogram. Why am I saying this? If the prices collapse, then the employer also cannot pay proper wages. If he is asked to pay some wages which he cannot afford, then he will not have the labour at all. Therefore, the labour does not complain against the reduced wages because it is better to get some wages, even though it is less than the minimum wages, rather than getting no wages at all. Therefore, it is of utmost importance that the Government should look at the prices of agricultural commodities and see to it that our agriculture does not collapse, because our agriculture is on the brink of collapse now. People in my area, for instance, people like me will stop producing coconut, will stop producing arecanut and all these crops that we are producing. If we stop agriculture, then there will be no question of agricultural labour. Then you will have the question of all these labourers moving into the cities, moving into slums; not getting employment in cities

either, and then getting more and more unrest, trouble, riots and chaos. Therefore, Sir, some Members of Parliament, including myself, have written on November 11 to the hon. Prime Minister asking him to raise the import duty. That is number one. Improve on procurement prices. That is number two. And number three, to provide technology, which is modern, to our farmers so that our production can compete with the production and technology of transnationals like Monsanto, Cargill, etc. Now, the point f am making here is, the Government should take strict action, with a political will, to combat this great tragedy and menace of bonded labour. So long as we have people in this situation, globalisation and liberalisation will destroy this country, Globalisation, liberalisation and new economic policies are good for a country which has people with the minimum standards of living and minimum education. If the minimum standards are not there, then globalisation, liberalisation and all these economic policies are destructive and suicidal for the country. Therefore, it is necessary to abolish bonded labour by implementing the existing laws. It is also necessary to protect our agriculture because only when we protect our agriculture, we can protect our agricultural labour by raising the import duties, by improving on the procurement prices and system and by providing modern technology to our farmers so that we can compete globally by producing in a much more productive way than we are doing at present. I don't want to take any more time of the House. I thank you for giving me the opportunity to mention these few matters.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी(झारखंड)**:** सदरे मोहतरम, श्री नागेन्द्र नाथ ओझा जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन और हिमायत करते हुए मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं । मजदूर हमारे समाज का सबसे मेहनती , सबसे गरीब और सबसे मेहरुम तबका है । जो लोग अपने खून- पसीने की कमाई से रोजी-रीटी हकीकतन कमाते हैं और अपने बाल बच्चों के जीवन को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं उनमें अगर इस देश का सबसे ज्यादा कीमती शर्माया इन्सान की शक्ल में है तो उसका नाम मजदूर और खेत मजदूर है । इकबाल ने बहुत पहले इस तरह के मजदूरों से कहा था कि अगर तुम्हें महरुमी का शिकार बनाया जाता है , तुम्हें तुम्हारे हक नहीं दिये जाते हैं, अपनी जमीन पर तुम्हारी जिंदगी तंग हो जाती है, कानून तुम्हारा साथ नहीं देता है, हुकूमत तुम्हारा साथ नहीं देती है, हुक्मरान तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करते तो "जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशा-ए-गुन्दुम को जला दो" । मजदूरों का इन्कलाब दुनिया में वक्तन, बेवक्तन तारीख के दर्पण में झांककर देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल रहा है और अब देर नहीं है जब उसे लटकाते-लटकाते, दौड़ाते-दौड़ाते दीवार तक पहूंचा दिया जाएगा और उसके लिए पीछे खिसकने की कोई जगह नहीं रहेगी तब टकराव की शक्ल पैदा होगी और संघर्ष एक नया रुप लेगा । सदरे मोहतरमें, श्री नागेन्द्र नाथ ओझा जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसकी भरपूर हिमायत करते हुए यह कहना चाहूंगा कि पच्चीस वर्षो से जो चीज प्रस्ताव में है, लोगों के ध्यान में डाली जा रही हैं और उस पर मुसलसल मेहनत की जा रही है

कि मजदूरों के नसीबोफराश की गुत्थियों को सुलझाने के लिए कोई रास्ता निकल आए मगर मरीजेइशक पर रहमत खुदा की मर्ज बढ़ता गया ज्यू-ज्यू दवा की । आज इन गरीबों की तरफ सिम्पथी और हमदर्दी से देखने के लिए कोई तैयार नहीं है चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की हुकूमत हो और कोई भी हुक्मरान हो । इस मजदूर की गिनती वोटर लिस्ट में जरुर होती है लेकिन डिमांड लिस्ट में कभी नहीं होती । उसके हक और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए हम कभी संजीदा नहीं होते । मैं इस पर किसी लंबे-चौड़े लैक्चर की जरुरत महसूस नहीं करता बल्कि उनकी जो पिक्चर सामने आ रही, जो शक्ल सामने आ रही है, उनकी अच्छी शक्ल बनाने के लिए हाउस में मंत्री महोदय से डिमांड करता हूं । हुकूमत से यह कहना चाहता हूं कि 1975 से इस मसले पर गौर हो रहा है पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर अब तक यह काम क्यों नहीं किया गया । 1998 में इसी हाउस में लेबर मिनिस्टर श्री अरुणाचलम जी ने इस पर कानून बनाने का आश्वासन दिया था । वह सरकार चली गई लेकिन यह वायदा तो सरकार की तरफ से हुआ है किसी बेकार की तरफ से नहीं हुआ है । इस वायदे को बेकार समझकर न छोड़ा जाए बल्कि वायदा ए सरकार समझकर गंभीरता से इस वायदे को समझने और उसे पूरा करने की कोशिश की जाए । बारह सूबों मे तकरीबन हजारों खेत मजदूर मारे गए हैं । उनकी जिंदगी देखिए, सिसकती हुई जिंदगी है । खेत में जो हरियाली आ रही है वह खेत मजदूर के कर्मों का नतीजा है । रोड़ से गुजरना उनके लिए संभव नहीं, रेलवे से वे आते हैं, छतों पर चढ़कर वे आते हैं । गिर जाते हैं, सर्दी के जमाने में मर जाते हैं । और भी खेत मजदूर जो पंजाब के लिए बिहार से निकलते हैं, यू पी से निलकते हैं, दीगर कमजोर सूबों से अच्छे सूबों की तरफ जाते हैं उनकी हालत यह है कि हमने ट्रेनों से मरने वाले मजदूरों को भी देखा , इसी हाऊस में उनकी गूंज भी रही, आइंदा भी इस तरह के खतरात उनकी जिंदगी से चिपके रहे हैं । ऐसे लोगों के लिए, जो जिंदगी और मौत के बीच लटके हुए हैं क्या उनके लिए किसी कानून को बनाने की जरुरत नहीं है ? क्या उनके लिए आश्वासन की जरुरत नहीं है ? क्या उनके लिए सुख-सुविधाओं की जरूरत नहीं है ? कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो सुख-सुविधा इस हुकूमत से हासिल न कर रहा हो । वह खेत मजदूर जो खेती करके मिनिस्टरों, हुकूमत , एम, पीज, एम.एल.ए. और देश के सारे लोगों के मुंह तक अन्न ले जाने का काम करता है आखिर उससे उसकी सुविधाएं क्यों छीनी जा रही हैं ? मैं यह गुजारिश करते हुए अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि उसके लिए , उसके बच्चों की तालीम के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए । उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसका बीमा करवाना चाहिए । कम से कम एक रुपया रोजाना बीमे के लिए तय किया जाए या तीस रुपये महीने के हिसाब से भी उनके बीमे की दर तय की जाए तो भी उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छा और कारगर कदम उठाया जा सकता है । साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हैल्थ सहूलियत के लिए भी उनके लिए अस्पताल बनाया जाए । अच्छा शहरी बनाने के लिए उनके बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम किया जाए । अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं ते वह मजदूर जो इतने बुरे हालात में है कि वह जाड़े के जमाने में कंबल में मर जाता है, गर्मी के जमाने में लू लग जाने से मर जाता है, बरसात के जमाने में उसकी झोंपड़ी उजड़ जाती है । सैलाब की नजर हो जाते हैं और मरने वालों की हालत ऐसी होती है कि वे फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, वे भूख से मर रहे हैं और कपड़ा उठाकर देख तो पेट पर लिखा है कि सारे जहां से अच्छा हिन्दुसतां हमारा,हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलिस्तां हमारा ।

तो ऐसी बुलबुल मत बनिए, ऐसा गुलिस्तां मत बनाइए जिसमें बुलबुल के नाम पर कौवे बैठे हों और इंसान के नाम पर जानवरों से भी ज्यादा बतदर जिंदगी गुजारने वाले लेबर और खेत

मजदूरों की शक्ल हमारे सामने आए । हम गुजारिश करेंगे कि इसके लिए आपको कानून बनाना चाहिए और इस बारे में बिल पास होना चाहिए और उसमें उनकी जिंदगी कि मजबूत गांरटी होनी चाहिए ।

आखिर में हम यह कहना चाहते हैं कि ये मजदूर जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उनके लिए सरकार को दावा करना चाहिए हमारी इच्छा है कि कम से कम उनके लिए हम मकान जरूर बनायेंगे जससे वे खुले आसमान के नीचे रहने वाले मजदूर छत के नीचे अपने बालबच्चों को लेकर अपना जीवन गुजार सकें और देश व कौम के काम आ सकें । उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मंत्री जी जरुर कोई योजना बनायेंगे । मैं जानता हूं कि इस बिल को इतनी आसानी के साथ आप लायेंगे नहीं लेकिन अगर बिल नहीं आ रहा है तो कम से कम कोई वायदा कीजिए और इसके साथ ही साथ एक मजबूत गारंटी वाली स्कीम बनाकर दीजिए ताकि उनके भविष्य के लिए कुछ किया जा सके । धन्यवाद, शुक्रिया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अनन्तराय देवशंकर दवे) : मैं श्री वर्मा जी को बुलाऊं उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सत्र में ही यह संकल्प समाप्त करना है । अभी माननीय मंत्री जी भी सरकार का जो पक्ष है उस पर बोलेंगे, उसे भी आप जानना चाहेंगे । अभी इस चर्चा में भाग लेने के लिए 6 लोग और हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप संक्षेप में अपनी बात कहें क्योंकि संकल्प के लिए यह सत्र का आखिरी दिन है और सरकार का पक्ष भी सुनना है । इसे 5.21 पर हमें समाप्त करना है । इसलिए मेरा अनुरोध है इस बात को ध्यान रखकर आप बोलिए ।

प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) **:** मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद । जैसा आपने कहा है मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात को रखने को प्रयत्न करुंगा ।

महोदय, मैं सबसे पहले इस संकल्प को लाने वाले आदरणीय भाई ओझा जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने हमारे समाज के एक ऐसे वर्ग, जो समाज में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा शोषित है, जिसका सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, ऐसे वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय विधान बनाने के बारे में यहां पर संकल्प प्रस्तुत किया है । इसके लिए में उनको पुनः धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ । संविधान की मंशा थी कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब को तरक्की करने का बराबर अधिकार मिलेगा । सभी लोग समुन्नत हों और एक मजबूत तथा सुन्दर देश का निर्माण हो । लेकिन बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि देश की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग, कृषि में काम करने वाले लोग आज भी जो 66 फीसदी हैं, मैं मानता हूं कि इस 66 फीसदी मे से आधे से ज्यादा लोग कृषि कर्मकार श्रमिक हैं जिनकी जिंदगी आज भी अंधेरे में है और जहां आज भी विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है । कृषि कर्मकार श्रमिक ही नहीं बल्कि खेतों में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, वे चाहे कृषि कर्मकार हों, चाहे किसान हों ,कृषक हों दोनो को ही वर्षो से शोषण झेलना पड़ा है । वर्षो से उन्हें यह शोषण इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि कृषि का जो क्षेत्र है वह असंगठित क्षेत्र है । संगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं चाहे उनकी संख्या कुछ लाख ही क्यों न हो वह सरकार से अपनी बात मनवा लेते हैं । यह श्रमिक वर्ग संगठित नहीं है,किसान जो हैं उनका अपना कोई संगठन नहीं है और असंगठित होने की वजह से सरकार उनकी तरफ वाछंनीय ध्यान नहीं देती है । हम कहते हैं कि देश ने आजादी हासिल कर

ली । वास्तव में देश ने राजनैतिक आजादी तो हासिल की है लेकिन देश आज भी सामाजिक आजादी और आर्थिक आजादी हासिल नहीं कर पाया है । विशेषरुप से खेती में काम करने वाले जो मजदूर है सामाजिक आजादी और आर्थिक आजादी अभी भी उनसे बहुत दूर है। महोदय, खेतों में काम करने वाले केवल पुरूष ही नहीं है बल्कि महिलायें भी खेतो में काम करती हैं । जैसा अभी ओझा जी ने बताया मैं भी गांव से आया हूं और मैं उनका हालत अच्छी तरह जानता हूं । उन्होंने जो कहा है वह बिल्कुल सही कहा है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं जो आदिवासी लोग हैं,अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोग हैं, ओ.बी.सीज. है—वही लोग हैं जो ज्यादातर कृषि श्रमिक हैं । इनमें भी उनकी महिलाओं को कई बार खेत में काम करने के लिए जाना पड़ता हैं । यह बताते हुए मुझे थोड़ी शर्म आती है, मुझे आपके सामने कहना पड़ रहा है, वैसे सभी लोग जानते हैं कि उनके घरों की महिलाओं को जो काम करने जाती है कई यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है । इसलिए वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि इसके ऊपर एक राष्ट्रीय विधान बनना चाहिये । राष्ट्रीय विधान बनने के बाद भी सही है कि यह ठीक से कार्यान्वित नहीं हो पाएगा क्योंकि असंगठित क्षेत्र है लेकिन एक हथियार तो अवश्य मिल जाएगा जिससे यौन शोषण की शिकार कामगार महिलाएं होती हैं तो कम से कम किसी अदालत में खड़े हो कर अपने अधिकार को मांग सकती है और होने वाले शोषण से निराकरण प्राप्त कर सकती है ।

मान्यवर, मेरा मानना यह है कि जब तक पूरे के पूरे कृषि क्षेत्र में सुधार नहीं होगा तब तक श्रमिकों के जीवन में भी सुधार नहीं हो सकता है और जब से वैश्वीकरण और उदारीकरण इस देश में आया है बिना सोचे समझे जो गैट एग्रीमेंट कर लिया गया है, उसका कुफल आज हमें भोगना पड़ रहा है । उसके कारण चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो। चाहे अन्य कोई अन्न हो, चाहे मूंगफली हो ,चाहे नारियल हो, चाहे तम्बाकू हो, आज हर कृषि उत्पाद के क्षेत्र में मंदी है । मैं जहां से आता हूं उत्तर प्रदेश में आलू का बहुत उत्पादन होता हैं किसानों को अपने उत्पाद का पैसा नहीं मिल रहा है । आज आलू का किसान आत्म हत्या करने के लिए मजबूर है । पूरे देश की यह हालत है । पूरे देश के किसान जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति के बंधक हो गये हैं । आज जितनी हालत किसान की खराब है , मैं नहीं समझता हूं कि इतनी खराब हालत किसान की कभी पहले हुई थी । आंख मूंद कर जो गैट एग्रीमेंट किया गया, उसका कुफल हम आज भोग रहे हैं । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह कुपरिणम कम से कम हों, इसके लिए यथाशीघ्र जो भी कदम उठाने पड़ें वह कदम उठाए जाने चाहियें । गरीबी उन्मूलन की बात आती है, गरीबी उन्मूलन नहीं हो रहा है । कई बार लगता है कि गरीबों का उन्मूलन हो रहा है । कृषि में काम करने वाले जो श्रमिक हैं कई बच्चे पढ़ाई लिखाई कर की बात सोच भी नहीं सकते हैं । उनके पास आर्थिक संप्रभुता नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक सामाजिक आजादी भी हासिल नहीं हो सकती है । यह बहुत बडी विडम्बना है । हम तब तक मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकते हैं जब तक हमारी 65-66 प्रतिशत आबादी मजबूत नहीं होगी । इसलिए आवश्यक है कि हमारा देश मजबूत हो । इसके लिए आवश्यक है कि खेती में काम करने वाले किसान और श्रमिक भी मजबूत हों, अपने पैरों पर खड़े हों आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उन्हें भी आजादी प्राप्त हो, तभी हमारा देश मजबूत होगा । मान्यवर, आपने पाबंदी लगाई है, ज्यादा समय नहीं है, फिर भी एक दो मिनट ले कर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । केरल की सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए है, इसके लिए केरल की सरकार को मैं साधुवाद देता हूं । त्रिपुरा की सरकार ने कदम उठाए हैं, उनको भी मैं साधुवाद देता हूं । पश्चिमी बंगाल की

सरकार ने भूमि का प्रबंधन किया है वहां भी स्थिति कुछ ठीक हुई है । बाकी स्टेट्स में या तो उनकी आकांक्षा नहीं है, उन्होंने इस क्षेत्र में वांछित कदम नहीं उठाए हैं । मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार को कदम उठाना चाहिये । जब तक भूमि का प्रबंधन नहीं होगा, सरप्लस जमीन का ठीक से बटवारा नहीं होगा,भूमिहीन लोगों को भूमि कि कोई न कोई टुकड़ा नहीं दिया जाएगा, तब तक मैं समझता हूं कि कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है । हमने किसान क्रेडिट कार्ड की एक नयी व्यवस्था लागू की है अभी तक केवल 75 या 80 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिल पाए हैं । इस दिशा में थोड़ी त्वरित गति से काम होना चाहिये । देश के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलने चाहिये । जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनमें प्राथमिकता के क्षेत्र में जो 18 प्रतिशत कृषि के क्षेत्र में ऋण देने का प्रावधान है, वह कृषि के क्षेत्र में जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि 12 या 13 प्रतिशत से ज्यादा कृषि के क्षेत्र में ऋण नहीं हो रहा है । सरकार को ध्यान देना चाहिये ताकि उन्हें वांछित मात्रा में कम से कम 18 प्रतिशत जो सरकार ने तय किया है उस सीमा तक उन्हें ऋण मिले और यथाशीघ्र मिले क्योंकि समय बहुत हो गया है, 25 वर्ष हो गये हैं विधान नहीं बन पाया है, इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि यथाशीघ्र संसद में विधेयक पास होना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री ओझा जी द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का समर्थन करता हूं । आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ।

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN (Kerala): I rise to support the Resolution moved by the hon. Shri Nagendra Nath Ojha requesting the Government to pass a comprehensive legislation for the agricultural workers. While moving this Resolution, the Mover of the Resolution explained the history behind this piece of legislation. A Bill is pending before Parliament for the last twenty-five years. Actually, the hon. Labour Minister will get an opportunity to celebrate the Silver Jubilee of this Bill which is pending before Parliament. Why could not this piece of legislation be enacted by Parliament during the la^t twenty-five years? What was the reason?

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) in the Chair]

This issue has to be addressed properly. I would like to know. Who are opposing this Bill? That is the question. The Mover has explained, in detail, about the various Committees and attempts that were made with regard to this Bill.

In the last meeting of the State Labour Ministers, the Central Government circulated a background paper. In that background paper it was revealed that 35 consultations and meetings were held with regard to this Bill. It is just moving from the State Labour Ministers Conference to the Cabinet and then back to the State Labour Ministers, then back to the State, then again, back to the State Labour Ministers' Conference, then

again to the Cabinet, then to the Task Force, then to the Rural Labour Commission. I do not know the reason behind this. I do not know what kind of hurdles, the Government has to cross, with regard to this Bill. What does it reveal? It reveals the bias towards the rich people and landlords, in the society. That is the reason. This Parliament represents the landlords rather than the poor people of this country. That is the reason. Why is it happening? It has been discussed, time and again. Now, the problems are increasing, not decreasing for the agricultural workers. If you look at the graph of the number of agricultural workers, right from Independence, it is increasing day-by-day in this country. Nowhere in the world, the situation is like this. In other parts of the world, the percentage of agricultural workers is from 5 per cent to 10 per cent, but, in our country, it has been increasing from 29 per cent to 42 per cent. The policies of the Government are helping to enhance the number of agricultural workers in the country, but, not helping to reduce it. After liberalisation, what is happening? Now, what is the situation in rural India? Sir, every year, nearly, two crores of agricultural workers are migrating. They are migrating from one State to the other. This year, it has been reported that agricultural workers are migrating from Orissa. I think, the Railway Minister will be happy to know that the sate of railway tickets in Orissa has gone up. There has been a fifty-fold increase in the sale of railway tickets in Orissa, because they are forced to leave villages. You are talking against the Information Technology. I am not talking about the Information Technology. How can we survive without food? Someone has to go to the paddy field and do the work. Now, the agricultural workers are forced to migrate from villages to towns. This itself is creating problems.

With regard to agricultural workers, I would like to submit that half of the agricultural workers consist of females. The agricultural workers who are migrating are mostly males. Now, what is the situation? These poor female workers are forced to look after their entire family. Then, you talk about the literacy and other things.

Will it be possible for the children of the agricultural labourers to go to schools? No, that will not possible. Again, this Government has decided to enhance the prices of food articles distributed through the PDS. What is this going on? Because of that attitude, because of that myopic attitude of this Government, the off-take is reducing like anything. Sir, if you go through the figures of the off-take from the PDS shops in the first

half of this financial year, you will find that it is only 18 per cent. If you look at the figures in the FCI godowns food stock is three-fold more than what it was two years back. What does it mean? Whatever minimum PDS system we have, is going to be closed. In the States like Kerala, the off-take is coming down. So, there will not be any PDS shops in the near future. Then, what would be the situation of the agricultural workers? The malnutrition is coming down everywhere in the world. But in our country if you go through the figures of last two years - you will find it is increasing. Who are the victims? The agricultural workers are the victims, There is no scope for agricultural labourers in the country. Half of them are Scheduled Castes and Scheduled Tribes. All my learned friends who participated in the discussion, expressed their concern about the sad situation of this section. Still there is a two-glass system in this country. Untouchability is still there. Though the Panchayat raj system is there, the SC/ST Panchayat members cannot go and preside the Panchayats. The system is there, but how can we set it right. Unless we could solve the problems of the agricultural labourers, we cannot solve this kind of social evils in this country. This Bill is not a small piece of legislation; it is related to a social change throughout the country. Our approach towards this piece of legislation should be different. This is not the Industrial Disputes Act. This is something related to the heart of this country - the rural people. Seventy pei cent of the people live in the villages. It is related to them. Therefore, more attention is needed for this piece of legislation. But, unfortunately, Sir. the failure of the PDS. the Government's backtracking from the earlier concept of land reforms, no promotion for the traditional employment, the failuie ol the Government-sponsored employment generation schemes, are aggravating the situation in the rural areas of our country. Therefore, proper attention should be paid to all these things, while we are thinking about this piece of legislation for agricultural labourers. Sir, right from the beginning, when this Government came to power, I have been suspicious about passing of this legislation. I don't say that earlier Governments had done any good work. They had also miserably failed. *(Time-Bell)* As soon as this Government came to office, I raised a question in the House regaiding the fate of this Bill. I got an answer from the Government that they are not going to pass this Bill. Four reasons were given for this. I quote from the reply, "First, this is a State subject, and enactment of the law should be left to the State Governments, in view of the prevailing local conditions. Second, enactment of the legislation would introduce the industrial disputes culture in agriculture, and would strain the employer-

employee relationship. This would adversely affect the production and productivity in the agricultural sector. Even though simitar attempts had been made in Kerala, followed by Tripura, implementation of the legal provisions had not been effective in these States. Due to general shortage of labourers in some States, there is no exploitation of agricultural labourers; therefore, there is no need for an additional protection through a separate legislation."

So, this is totally against the interests of agricultural workers. This was one reply. Then, after six months, he said that he was going to get a piece of legislation passed. You see, this is the BJP Government. It always speaks in double tone. I do not know what the correct view of the BJP Government is. And that should be made clear here. One day, they say 'no legislation'. Another day, they say "we wilt pass it". This kind of attitude should not be there. So, t got two different kind of replies from this Government. One was against the Bill, and, the other was in favour of the Bill. The hon. Labour Minister should make *it* clear here, whether he will move the Bill or not. That is one thing. Time and again, 35 attempts were made to move this Bill and all of them failed. He should also clearly say whether it would be brought forth before the Parliament. That should be made clear. I am always in favour of the Bill. There should be a clear time-frame. For the last 25 years, we have not been able to pass it. So many discussions have taken place. You should not think about the State Governments whether they will implement it or not. It is a different thing. What has the Labour Commission done? What have you done? Is there any representation for the agricultural labourers in the National Labour Commission? In agriculture, about half of our population is engaged. Do you have any registration in the Ministry for the agricultural workers? There is nothing. So, something should have been there. You should tell this House whether you are going to enact this piece of legislation or not. If yes, when are you going to do it? I would like to know whether earlier proposals will be included in this Bill. What would be your approach with regard to the States? There are some States which do not want to implement this Bill. Let them not implement it. But you should get this Bill passed. All these things should be made clear. There should be a transparent outlook on the part of the Government. I hope, such a reply would come from the Government. I hope, something positive will emerge out of this discussion. Mr. Vice-Chairman, Sir, the hon. Member, Shri Nagendra Nath Ojha is moving this Resolution for the third time in this House. Last time also, I supported this Resolution. It should not be

repeated. The hon. Labour Minister should give an assurance to this House - this time we do not have sufficient time-- that atleast, in the coming Budget Session it would be enlisted in the 'List of Bills', it would be considered and passed by this august House. We are in the silver jubilee year of the non-passing of this piece of enactment. So, I hope, the Labour Minister will come forward with a Bill in the ensuing session. I hope something positive will come out. Thank you.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir. the hon. Member, Shri Nagendra Nath Ojha has moved a Resolution to improve the socio-economic conditions of the agricultural labourers and regulation of their working conditions. For a long time, this legislation is pending with the Government. It should be enacted, as early as possible, for the welfare of agriculturists. Shri Nagendra Nath Ojha also delivered a good speech in this House. Though, I am not aware of Hindi, I could hear translation of his speech, but it was not continuous. However, I enjoyed his speech to a great extent. I would request the hon. Member to go through the Ministry of Labour's Annual Report, 1999. In that report, it has been mentioned I quote "Since there have been divergent views on various components of the proposed legislation for the welfare of agricultural workers from different States/UTs, a Conference of the Labour Ministers' of States/UTs was organised under the Chairpersonship of the Union Labour Minister on 18.1.2000, with a view to reaching a consensus in the matter." I submit that, even today, we have not reached a consensus. I request the hon. Labour Minister to let this august House know as to whether any consensus has been arrived at with regard to a legislation for the agricultural labourers. For the last 50 years, we have not been able to do it. I hope, at least, in the next session, we would be able to achieve it and a legislation will be brought forth in the august House.

Agricultural workers consist of the largest segment of the workers in the unorganised sector. The number, according to the 1991 Census, was 74.6 million. In addition, a significant number-110.7 million listed as cultivators and another 6 million listed as engaged in allied activities, particularly those having very small holdings (large, medium and small farmers) may also come under the definition of agricultural labourers. There is no law for them even now. The social condition, the economic condition, of these people is poor. They are living in poverty. They are living as illiterates. They live like bonded labour as my learned friend has pointed out. In order to eradicate poverty, in order to remove illiteracy and in order

to come out of the clutches of the bonded labour, this sort of legislation is essential. The problem of agricultural labourers and their unemployment and poverty has to be tackled meticulously by this Government. They should be provided with infrastructural facilities, financial assistance, diversification to non-farm activities, etc. The Government should take steps to generate employment and bring poverty alleviation schemes for them. Different States have enacted different laws. But that is not sufficient. There should be a centralised legislation by this Government in order to help the agriculturists. A welfare fund should be created. The fund should provide for social amenities like health and medical care. Broadly, the problem of agricultural labourers can be classified into two groups. They are; social problems and economic problems. Since agricultural labourers are living in rural areas, this is a social problem for them. Economic problems arise due to inadequate employment opportunities, low income and inadequate diversification of economic activities in rural areas. So, in order to eradicate the economic problems and social problems, we are in need of a legislation at present.

I submit further that as far as women labourers are concerned, their condition is very, very poor. They are paid only 60 per cent of the wages earned by men. Poverty and illiteracy force them to borrow money, from time to time, from private money-lenders. They have been consigned to borrow for social obligations like celebration of marriages of their sons and daughters. In order to get money, they have to become bonded labourers. They are working as bonded labourers with rich people.

Here, I would like to bring to the notice of this august House a scheme brought by the Tamil Nadu Government. The State of Tamil Nadu has been a pioneer in that. A welfare fund has been created by the Government of Tamil Nadu. I think 64 categories of employees have been included in it. The scheme is being inaugurated tomorrow. According to the scheme that Dr. Kalaignar, the Chief Minister of Tamil Nadu, has announced, Rs.One lakh is given to the labourers for the marriages of their sons and daughters and Rs.One lakh is given for the education of children. In the whole of India, this is the first time that such a scheme has been launched. Even West Bengal has not done it. Therefore, I thought I would take this opportunity to mention it.

Finally, this sort of legislation which is in the interests of agricultural labourers is very necessary. I am highly thankful to Mr. Ojha for bringing this legislation. I welcome it. Thank you very much.

श्री गांधी आजाद (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, सर्वप्रथम में श्री नागेंद्र नाथ ओझा जी को बधाई देता हूं और इस लिए बधाई देता हूं कि मूक कृषि श्रमिकों की बात इस उच्च सदन में उन्होंने उठाने का प्रयास किया । में अपने आपको श्री ओझा से संबद्ध करते हुए अपनी बात आगे बढाना चाहता हूं ।

महोदय,कृषक मज़दूर आजादी के पहले और आजादी के बाद दो प्रकार के शोषण का शिकार हुए हैं- सामाजिक शोषण और आर्थिक शोषण । इन दोनों विषमताओं के कारण आज कृषक मज़दूर की हालत बहुत दयनीय हो गई है । हमारे देश में सामाजिक विषमता इतनी है कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है । दुनिया के दूसरे देशों में इंसान द्वारा इंसान पैदा होते हैं । महोदय, हमारे देश में सामाजिक विषमता के कारण इंसान द्वारा इंसान पैदा करने की फैक्टरी बंद कर दी गई और यहां इंसान द्वारा वर्ण पैदा किया जाने लगा । इंसान द्वारा यहां ब्राम्हण पैदा होता है, क्षत्रिय पैदा होता है, वैश्य पैदा होता है, शूद्र पैदा होता है । इतना ही पैदा होता तो भी गनीमत थी लेकिन हमारे यहां इंसान द्वारा 6,000 से अधिक जातियों के लोग पैदा होते हैं और वे भी सिढीनुमा पैदा होते हैं जैसे बांस की सीढी को अगर खड़ा कर दिया जाए और किसी भी डंडे को ले लिया जाए तो एक डंडे के ऊपर होता है तो दूसरा डंडे के नीचे होता है । ठीक इसी तरह से इस देश में 6,000 से अधिक जातियों के लोग पैदा हुए हैं, कोई ऊंचा तो कोई नीचा, कोई छोटा तो कोई बड़ा कोई छूत तो कोई अछूत । इसका यह परिणाम देश के सामने परिलक्षित हो रहा है कि इस देश से आज मानवता नाम की चीज खत्म हो गई है, इंसानियत नाम की चीज खत्म हो गई है और आपस में भाईचारा खत्म हो गया है जिसका परिणाम यह है कि सोने कि चिडिया कहा जाने वाला भारत देश आज कंगाली के कगार खडा है और भारत देश में आज जो बच्चा पैदा हो रहा है, उस पर हजारों रुपए का विदेशी कर्ज है । जो देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वह सामाजिक विषमता के कारण हर देश के सामने कटोरा लेकर भीक मांगने का काम कर रहा है । इसलिए मैं मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि कोई कानून बनाकर इस सामाजिक विषमता को जल्दी से जल्दी दूर करने का प्रयास किया जाए ताकि इस देश में पुनः इंसानियत पैदा हो सके, मानवता पैदा हो सके, भाईचारा पैदा हो सके और सोने चिड़िया कहे जाने वाले इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सके ।

महोदय, अब हम आर्थिक विषमता की ओर आते हैं । जहां तक कृषि मजदूरों का सवाल है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है । यहां की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है । महोदय, 70 प्रतिशत में से 15 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि का 80 प्रतिशत हिस्सा है और ये लोग खुद नहीं करते हैं, यहां तक कि अगर वे खुद मिट्टी को छू लें तो उन्हें शायद किसी प्रकार का संक्रामक रोग हो जाए । इनमें से कुछ लोग तो अपने खेतों तक को नहीं पहचानते हैं लेकिन ऐसे 15 प्रतिशत लोगों के पास 80 प्रतिशत भूमि है और 35 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास 20 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है । ये लोग अपना काम स्वयं करते हैं या कभी कभी जरूरत पड़ने पर पड़ोसी मजदूरों से करा लिया करते है । इस कृषि व्यवस्था पर आधारित 50 प्रतिशत मज़दूर ऐसे हैं जो बीवी-बच्चों सहित कृषि पर ही निर्भर हैं लेकिन एक इंच भूमि भी उनके पास नहीं है । ये लोग उन 15 प्रतिशत लोगों के ऊपर निर्भर हैं जिनके पास 80 प्रतिशत भूमि है । इसका परिणाम यह हो रहा है कि आज कृषि के सारे संसाधन महंगे होते जा रहे हैं – खाद महंगी होती जा रही है, बीज महंगा होता जा रहा है, सिंचाई महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो रही है और खेतों में मशीनीकरण होता जा रहा है । मशीनीकरण का कुप्रभाव हमारे सामने है । जहां

पहले 10 आदमी हल चलाते थे, आज वहां एक ट्रैक्टर से काम हो रहा है। यहां तक कि जुताई, बुवाई ,कटाई, पिसाई का सारा काम आज मशीनों द्वारा हो रहा है। जिसके कारण कृषि में लगे हुए 50 प्रतिशत लोग जिसमें 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं जो गांवों से भागते जा रहे हैं, उनके पास अपने खेत नहीं हैं जिससे अपने खेतों में काम करके आजीविका चलाएं। वे इन 15 प्रतिशत बड़े-बड़े सामंती कृषकों के, बड़े-बड़े किसानों के शिकार हो रहे हैं। जब ये रोजी मांगते हैं, मजदूरी मांगते हैं तो रोजी और मजदूरी के लिए उनको गोली दी जाती है, माना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि जब उनके हाथों को गांवों में काम नहीं मिलता है तो गांव छोड़ करके ये शहरों की तरफ पलायन करते हैं शहरों में भी मशीनीकरण, कम्प्यूटरीकरण के कारण उनके हाथों को वहां भी काम नहीं मिलता है। नतीजा यह होता है कि यह दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और इस कारण आज सबसे भयावह स्थिति होती जा रही है। मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज सारे उपकरण तो महंगे होते जा रहे हैं लेकिन कृषि में लगा हुआ मजदूर आज सबसे सस्ता होता जा रहा है। यह देश के लिए सबसे भयावह है। यह इतना सस्ता हो रहा है कि कभी-कभी तो यह मजदूर रोटी के लिए अपनी इज्जत को भी दांव पर लगा देता है। इस बारे में खूब चर्चाएं सुनी होंगी कि कितने लोग अपने बेटे, बेटियों को भी बेच करके, गिरवी रख करके खाने का काम करते हैं और वहीं से ही ये बंधुवा मजदूर पैदा होते हैं। यह विषमता लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि अगर इस पलायन को रोकना है तो यह जो शहरों का केन्द्रीयकरण हो रहा है इसको विकेन्द्रीयकरण करना होगा और केन्द्रीय सरकार को कोई न कोई कानून बनाकर इन कृषकों, श्रमिकों के हितों के लिए भी कुछ न कुछ उपाय निकालना होगा। मैं समझता हूं कि ओझा जी के माध्यम से इस सदन में जो कृषकों की बात उठाई गई मैं पुनः ओझा जी को धन्यवाद देते हुए मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं और कर रहा हूं कि कोई न कोई उपाय निकाल करके या श्रमिकों के लिए कोई न कोई कानून बनाकर के इनकी समस्याओं का निदान किया जाए। धन्यवाद।

श्रम मंत्री (डा.सत्यनारायण जटिया) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी , जो विधेयक खेतीहर श्रमिकों संबंधी विधान के बारे में श्री नागेन्द्र नाथ ओझा जी ने प्रस्तुत किया है और उसके समर्थन में जिन माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिय़ा है, इसमें सिरकत किया है वे हैं श्री एडुआडों फेलेरियो, मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी, प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा, श्री ए, विजय राघवन, श्री सी.पी. तिरूनावुक्कारासु, श्री गांधी आजाद। चिंता इस बात की है कि जो अंसगठित क्षेत्र के खेतिहर मजदूर हैं उनके बारे में कुछ जरूर होना चाहिए। कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें जब जब भी कोशिशें हुई हैं उसका एक सिलसिला मेरे पास है। सन् 1975 से क्या होता रहा है और किस तरह यह हमारा खेत मजदूर खोता रहा उसके तलाशने का अंदाज अब और कोई नया नहीं है क्योंकि उसका दर्द पुराना नहीं हैं। मुश्किलें यह है कि कोशिश इस बात की हो रही है कि इसके लिए किस तरह से कानून में प्रवाधान किए जाएं। अनेक प्रकार के जो विचार आए थे उसमें यह था कि इसके लिए हम जो भी कल्याणाकारी योजनाएं बनाना चाहतें हैं, इसके लिए जो भी राहत की बातें करना चाहते हैं जैसे कि अन्य श्रमिक कानूनों में या अन्य क्षेत्रों के मजदूरों के बारे में हमने किया है, जैसे बीड़ी के क्षेत्र में किया है, खनन के क्षेत्र में किया, सिने वर्कर्स के बारे में किया है, क्या उस तरह से किया जाए ? क्या सेस कुछ लिया जाए और उस तरह से कुछ धनराशि इकट्ठी की जाए ? तो बीड़ी मजदूरों के क्षेत्र में तो इस बारे में सफल रहे हैं। हम 80 करोड़ रुपया इकट्ठा करके उसके आवास के लिए, उसकी चिकित्सा के

5 00 P.M.

लिए कुछ प्रबंध करने में कामयाब हुए हैं । हालांकि इनकी बहुत बडी संख्या है, बीड़ी मजदूरों का बहुत बड़ा वर्ग है जो की असंगठित क्षेत्र में हैं । इसी तरह से माइन्स में काम करने वाले लोग हैं, खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वे इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं जिसमें गंभीर प्रकार की बीमारियां हो जाती है । देश में असंगठित क्षेत्र में जो मजदूरों की संख्या है यह 34 करोड़ है ।

हम बाकी की बातें करते हैं । बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और करनी भी चाहिए क्योंकि अच्छी बातें करने के लिए कोई मुनादी नहीं है, किन्तु जिनके बारे में कुछ करना चाहिए, उनके लिए बात करने के आगे कुछ न हो तो यह कष्ट की बात है । मुझसे इसके बारे में कहा गया है कि इसके बारे में कोई कानून बनना चाहिए और इस तरह का कानून बनना चाहिए जो हम उनकी राहत के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध करा सकें । जब नागेन्द्र नाथ जी का भाषण हो रहा था तो उसमें उन्होंने कुछ बाते कहीं हैं । उन्होंने यह सही कहा है कि श्रम मंत्रियों का सम्मेलन इसी वर्ष जनवरी के महीने में हुआ था । हमने कहा था और अब दिसम्बर आ गया । हर एक राज्य के श्रम मंत्री को उसमें बुलाया गया था और उनको कहा था कि किस किस तरीके से इस बारे में विचार करके कानून बनाया जाए । जहां श्रम नहीं है, खेतिहर श्रमिक नहीं है, वहां पर कल्पना ही नहीं है कि उसके बारे में क्या कहा जाना चाहिए । जहां श्रमिक हैं यहां खेती नहीं हैं, जहां काम करने के लिए लोगों को लगाया जा सके । हम जानते हैं कि खेतिहर क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनके लिए वहां पर मौसमी काम होता है, उनके लिए लगातार वर्ष भर काम नहीं होता है उसके लिए वहां पर वर्ष भर काम नहीं होता है फिर भी वह खेत में ही काम तलाश करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका आसरा भी वहीं होता है, उसके रहने सहने कि व्यवस्था भी वहीं पर होती हैं, उसका परिवार, उसके बच्चे वही पर होते हैं इसलिए वह कुछ समय तक वहीं पर काम करने की जुगाड़ करता हैं और वह कोशिश करता है कि उसको वही काम मिल जाए जहां पर वह रह रहा है । परन्तु जब उसे काम नहीं मिलता है तो वह अन्य जगहों पर पलायन कर जाता है । वह शहर में आ जाता है । आज जब हम शहरों का दृश्य देखते हैं जहां पर शहरों में गांव के लोग आ गए हैं, वह रोजगार की तलाश में भटक रहा है, उसे कही जगह नहीं मिलती हैं, अनहाईजनिक, अस्वास्थ्यकारक परिस्थितियों में वह रहने के लए मजबूर है । जैसा कहा गया है, 'सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा' किन्तु इस विसंगति को हम कहें कि क्या हो रहा है तो 'रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा ।' ऐसे लोगों के बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं हैं । हम देख रहे हैं कि संवेदना शून्य हो गई है, आज लोगों में संवेदना ही दिखाई नहीं देती है । मजदूर यदि कहीं काम कर रहा है तो उस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती है, किन्तु यदि उसकी जगह पर कोई चमकीली चीज दिख जाए, कुछ नया लाइम-लाइट में हो, कुछ अच्छा दिखता हुआ हो तो जरूर लोगों कि दृष्टि उधर ही जाती है। वह कैसे काम रहे है, वह किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे वह रह रहे हैं, हम रास्ते में चलते हुए देखते हैं कि जब सड़कें बनती हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, भवन बनता है तो उसी के आसपास कहीं कच्ची ईंट लगाकर टप्पर लगाकर के वह अपना गुजारा करता है । उसका खाना क्या हो सकता है, उपसभाध्यक्ष जी, उसे आप समझ सकते हैं । हमने झाबुआ में देखा है कि वनवासी क्षेत्रों का आपका भी अनुभव है कि वे खाने के लिए मक्का ले आते हैं और उसमें गर्म पानी डालकर खाते हैं । वे सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले आदमी हैं और उनके बारे में निश्चितरूप से फिक्र होनी चाहिए । नागेन्द्र नाथ जी ने जो बातें कही हैं वे ऐसे लोगों की बातें कही हैं, उन्होंने एक तरह से मूक लोगों को भाषा देने का काम किया

है। यदि हम संसद में उन लोगों की बात न कहें तो यह बेइन्साफी हो जाएगी । जो विषय यहां पर रखा गया है उसमें उनकी बात को बहुत ईमानदारी से कहा गया है । पिछले 25 वर्षों से जो कुछ सोचा जा रहा है उसको पूरा करने का मैंने संकल्प किया है और मुझे विश्वास है कि मैं इस कार्य को पूरा करने में खरा उतर सकूंगा । इसके लिए जो भी उपाय मुझे करने हैं उन्हें मैं करूंगा । मैं अपने मंत्रालय में कहता रहता हूं कि भाई आप देखें कि इस काम को किस तरह से किया जा सकता है । हम एक स्कीम के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं कि किस तरह से उनके कल्याण के लिए, उनके उनके वेलफेयर के लिए, स्वास्थ्य के लिए कार्य किया जाए । जो लोग खतरनाक कामों में लगे हुए हैं, जिनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, उनके लिए हम सोच रहे हैं । आप जानते हैं कि बहुत सी जगह पर वह कांट्रेक्ट में लगे हुए हैं, बहुत जगह पर सड़कों पर लगे हुए हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है क्योंकि उसका कोई नहीं है । उसकी अंतिम क्रिया के बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं । जिसके पास सब कुछ होता है उसकी सारी दुनिया हो जाती है । यह दुनिया का दस्तूर है, इसमें किसी का क्या कसूर है । इस दस्तूर को बदलना होगा । इस बात में परिवर्तन लाना चाहिए और इस परिवर्तन को लाने के संबंध में जो जो बातें माननीय सदस्यों ने कहीं हैं, उनको ध्यान में रखा जायेगा । यह मानवीय पक्ष है । इंसानियत का तकाजा है कि ये सारी बातें होनी चाहिए । बहुत बार बहुत कुछ हुआ है और अगर मैं आपको कहूंगा तो आप कहेंगे कि कहां-कहां क्या क्या हो गया है । बहुत बार ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स बैटे हैं, सलाह हुई है, मंत्रियों की बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में विचार विमर्श हुआ है । विचार विमर्श का निष्कर्ष आ गया तो पता लगा कि लोक सभा भंग हो गयी और फिर सब कुछ बदरंग हो गया । फिर से नया कुछ आएगा, फिर नया कुछ बनाया जाएगा । तो सरकार की जो प्रक्रिया है, उसमें खो जाता है, होने वाला हो जाता है, रहने वाला रह जाता है । जिसको कुछ नहीं मिल पाया है, उसको देने के लिए जो कुछ होना चाहिए, वह अभी तक नहीं हो पाया है । मेरी पिछले 6 महीने से यह कोशिश है कि मैं किसी भी तरह से इस बारे में कुछ काम कर सकूं । सर, मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनकी राहत के लिए स्कीम बनाई जाए । मैंने इस संबंध में बात की है कि इसके लिए कुछ धनराशि सुरक्षित रखी जाए ताकि उस स्कीम पर काम किया जाए । इसे विधेयक के रूप में आना चाहिए या प्रस्ताव के रूप में आना चाहिए या स्कीम के रूप में आना चाहिए, यह प्रस्ताव तो अभी निर्धारित करना है किन्तु हम इस पर काफी गहनता से विचार विमर्श कर रहे हैं, मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है । मैं इस बात का समर्थक हूं कि जब कुछ काम हो जाए, तब उसको बताना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि केवल डींगें हांकी जाएं और जो कुछ अभी तक होता रहा है, उसी सिलसिले को जारी रखा जाए । मेरे हिसाब से यह मुनासिब नहीं होगा । मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी ही इस बारे में कुछ करूं । जल्दी का मतलब कोई समय सीमा नहीं है, जल्दी का मतलब यथा शीघ्र है और मेरे मन में मैंने जो समय सीमा निर्धारित की है – क्योंकि जो कुछ भी जिस प्रकार से चलता है, उसके बारे में एकदम निश्चित रूप से कह पाना सरकार में रहते हुए बडा कठिन होता है क्योंकि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, वह अपनी तरह से काम करती है...(**व्यवधान**)... मैं समझ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं । आपके मन की बात ही मैं कहना चाहता हूं किन्तु उस बात को कहने के लिए मैंने जो तय किया है, उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए । मेरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी यह काम हो पर ऐसी भी जल्दी न हो कि पांच बरस लग जाएं, तीन बरस लग जाए ।...(**व्यवधान**)... मैं उसके बारे में बता रहा हूं । एडुआर्डो फेलेरियो जी ने बाउंडिड लेबर के बारे में कहा है । मेरे हिसाब से जो हमारे समाज में प्रथाएं हैं, वह भी बाउंडिड लेबर का ही रूप होती है । लोग कुछ कामों को पूरा

करने के लिए कर्ज उठा लेते हैं, बच्चों की शादी के लिए या बच्चों के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए कर्ज उठा लिया । मेरे हिसाब से जो पुराने संस्कार हैं, जो पुराने विकार हैं वह आज भी हमारे समाज में हैं । यदि परिवार में कोई गुजर गया तो उसके लिये श्राद्ध करना है, मृत्युपरांत पंडितों को भोजन कराना है, समाज के लोगों को बुलाना है, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए वे लोग कर्ज लेते हैं । आज भी गांवों में यह सब हो रहा है और इन सारे कामों के लिए लोग कर्ज उठा लेते हैं । कर्ज उठाने के बाद उसको चुकाने के लिए चूंकि उनके पास कुछ नहीं होता है, और जब उनके पास गिरवी रखने के लिए, जमानत के लिए कुछ नहीं होता है तो वे अपने आपको ही गिरवी रख देते हैं कि चलिए, इसके बदले हम अपने आपको गिरवी रख देते हैं और हम चार साल तक आपके यहां काम करेंगे और यहां से बंधुआ मजदूरी की शुरुआत होती है । इसके अलावा जो पैसा वे लेते हैं, उसका जो ब्याज होता है वह पहले ही काट लिया जाता है । आप जानते हैं कि यदि उसने सौ रुपये कर्ज लिया है तो उसमें से पहले ही 20 रुपये ब्याज के काटकर उसे केवल 80 रुपये दिये जाते हैं और उन 80 रुपयों को चुकाने के लिए उसकी दो-दो पीढ़ियां लग जाती हैं और उसके वह 80 रुपये कभी खत्म नहीं होते हैं । आप जानते हैं कि इस प्रकार की परम्पराएं, इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां, इस प्रकार की विसंगतियां हमारे समाज में रही हैं, वह धीरे-धीरे जा रही हैं, वह जरूर जाएंगी । इसके अतिरिक्त फलेरियों जी ने चाइल्ड लेबर के बारे में कहा है । उन्होंने "डिसटेंस बिटविन स्पीच एंड डीड" कहा है । आपने यह बहुत बड़ी बात कही है । स्पीच और डीड में ज्यादा अंतर नहीं रहना चाहिए और मेरी यह कोशिश है कि इस संबंध में मैं पूरी ईमानदारी से कार्य कर सकूं । स्पीच और डीड में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, जो कहा है, वह करना चाहिए । जो कह दिया, सो कर दिया — यह मेरी कोशिश होगी कि जो कर दूं, उसके बाद आपको वह कहूं । मेरी यह कोशिश होगी कि जो भावना नागेन्द्र नाथ जी ने व्यक्त की है, उसको मैं पूरा करूं शीघ्र ही मैं आपके बीच में आकर यह कह सकूं कि मैंने यह काम कर दिया है । तब ही मुझे ज्यादा खुशी होगी । आपने आई.एल.ओ. कनवैंशंस के बारे में कहा है । उसको हमने स्वीकार किया है, 105 का कनवेंशन हमने स्वीकार किया है जिसमें बाउंडिड लेबर के बारे में कुछ बातें हैं । कुछ बातें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरुरी हैं, उनको हमने किया है और उनको हम करना चाहते हैं । उसके बाद मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी साहब ने भी कुछ बातें कहीं हैं । उन्होंने कहा कि "ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता ही गया ।" दवा करने से मर्ज कैसे बढ़ सकता है ? इसका मतलब है कि दवा करने में ही हमने कोताही की है । उस कोताही को आगे नहीं होने देना चाहिए । निश्चित रूप से इस बात को ठीक प्रकार से करने के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए, वह मैं ज़रूर करूंगा । महोदय, इसके अतिरिक्त रामबक्श वर्मा जी ने भी कहा है कि 66 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं । इसके अतिरिक्त हमारे यहां खेती करने वालों का जो रकबा है, हम जानते हैं कि 20 प्रतिशत लोगों के पास 80 प्रतिशत जमीन है । 80 प्रतिशत लोगों के पास 20 प्रतिशत रकबा है तो प्रायः वे जो 80 प्रतिशत लोग हैं, जिनके पास 20 प्रतिशत रकबा है, वे कुछ समय के लिए अपनी खेती में काम करते हैं और जब उनके यहां काम खत्म हो जाता है तो फिर वे दूसरी जगह मज़दूर हो जाते हैं क्योंकि उससे उनका गुजारा नहीं होता है । इस दृष्टि से देश में यह जो संख्या है, कृषकों में भी 80 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कि कृषि मजदूर न होते हुए भी, खेतिहर मजदूर न होते हुए भी मजदूरों की श्रेणी में हैं, कृषि मजदूर की श्रेणी में हैं । इस दृष्टि से यह जो समस्या है, यह बड़ी व्यापक है । उसके लिए राष्ट्रीय विधान बनाने का जो प्रावधान इन्होंने किया है, निश्चित रूप से उस पर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए, इस प्रकार से मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं ।

श्री ए. विजय राधवन जी ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि धनी लोग हैं, भूमिपति लोग हैं और जो गरीब महिलाएं काम करने जाती हैं उनकी परिस्थितियां क्या रहती है, निश्चित रूप से हम अंदाजा लगा सकते हैं । महिलाओं का काम पर जाना और ऐसी जगहों में काम पर जाना जहां सुरक्षा नहीं है, जहां कुछ सीमाएं नहीं हैं और काफी लंबी दूरी पर जाकर उनको काम करना पड़ता है क्योंकि शहर और गांव के आस पास की ज़मीन पर काम करने के और कोई नहीं जाता है, दूर-दूर तक 5 किलोमीटर ,10 किलोमीटर तक उनकों जाना पड़ता है और फिर वापस आते-आते रात हो जाती है । किस तरह से उनके परिवार का गुजारा हो सकता है, उसकी कल्पना मैं कर सकता हूं । तो यह जो परिवार है, पूरा का पूरा इस तरह से असहाय हो जाता है । उनकी सहायता करने की दृष्टि से और उसमें जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की सुरक्षा करने के बारे में भी जिस प्रकार के विधान की रचना करने के बारे में विचार कर रहे हैं, हैं, निश्चित रूप से काम करने वाली जो महिलाएं है, जो खेतिहर मजदूरी में लगी हुई हैं, उनके बारे में विशेष रूप से उनकी सुरक्षा की बातों का उपाय हम करेंगे ।

लेबर कमीशन के बारे में जिस प्रकार का वर्णन किया गया है, लेबर कमीशन में ऑर्गेनाइज्ड वर्कर के बारे में पहली बार हमने सोचने का काम किया है । कानून तो सब तरह के हैं,तरह तरह के कानून बने हैं, मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट बना है । अब मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट बना तो है पर उसको लागू करने के लिए जो मेकेनिज्म चाहिए, क्योंकि यह तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के दोहरे दायित्व का क्षेत्र है और यदि हम कहेंगे की राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं तो वे कहेंगे कि केन्द्र सरकार हमको सहायता नहीं कर रही है । तो इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोपों का कोई मतलब नहीं है । जिसकों जो जो काम करना चाहिए,वह-

"अपना काम आप जो कोई कर लेगा,
पाकर मुक्ति उतनी औरों को भी देगा ।"

इस बात में मैं विश्वास रखता हूं । इसलिए जिन-जिन सरकारों का जो-जो दायित्व है, वह पूरा होना चाहिए और आपने इसे कहा है सिल्वर जुबली लेकिन मैं इसको सिल्वर जुबली तो नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि किसी सफलता की सिल्वर जुबली हो सकती है, यह तो विफलता का काम है और निश्चित रूप से 25 वर्ष लग गए हैं इससे ज्यादा बेकार बात और कोई नहीं हो सकती है । इसलिए यह कारगर हो गया है, इस बात को कहने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करना चाहूंगा और इस दृष्टि से मैं आपकी भावना का आदर करता हूं ।

सी.पी. तिरूनावुक्कारासु जी ने जो बात कही है, वह भी मेरे सामने है और निश्चित रूप से जो गरीबी, निरक्षरता और बाकी बातें जो उन्होंने कही हैं, उनकी तरफ भी मेरा ध्यान है । आखिर में श्री गांधी आजाद जी ने जो बाते कही हैं, ये निश्चित रूप से मन को छूने वाली हैं । वे आज़ाद हैं और आजादी क्या है, इस यह जानते हैं । कुछ ऐसा लगता है कि-

"जैसे बंदी जीवन के बंधन बदले हैं कारगार वही है,

बदल गया कुछ लोगों का जीवन आंसू पीने वाले का परिवार वही है ।

क्या बदला जब मानवता की पीर वही, तसवीर वही है ?"

इसलिए इस आज़ादी की सही मायने में सार्थकता...(**व्यवधान**)... यह सार्थकता कब छिड़ जाएगी**...**

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : सुषमा जी, आप इसको पूरा कर दीजिए ।

सूचना और प्रासरण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): आगे की लाइनें हैं –

"ऐसा लगता केवल बदली गई अंगुलियां
लेकिन अब भी सरगम वही, सितार वही है।"

डॉ. सत्यनारायण जटिया: तो ये जो अंगुलियां बदली हैं, यह जो सरगम है, जो सितार तो निश्चित रूप से सितार के साथ स्वर का बदलना बहुत जरूरी है और देश में यदि हम आज़ाद हैं तो इस आज़ादी का अहसास उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इस तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए बेबस जिंदगी जीने के लिए इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है । इसलिए ऐसे लोग जो हैं जो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं**....** काम के आधार पर कैसे कोई छोटा हो जाता है, इसलिए काम के आधार पर छोटा समझने वाला आदमी कैसे बड़ा हो सकता है –

"मानव-मानव में भेद नहीं, कर्म, धर्म महान है,
सामाजिक समता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है ।"

इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमने जो संविधान में कहा है जब तक हम उसको पूरा नहीं करते तब तक हमारा संकल्प पूरा नहीं हो सकता और इसलिए 'न्याय, स्वतंत्रता, समता, बन्धुता, सबको समानता का अधिकार और इससे कम में समझौता कैसा, स्वर्ग मोक्ष से भी इन्कार ।' इस बात को साकार करने के लिए जो हमारे माननीय सदस्य की भावना है, उसका आदर करते हुए उन्होंने इस संकल्प में जो-जो बातें कही हैं उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे । मुझे विश्वास है क्योंकि हम इस रास्ते पर हैं जिसपर हमको पहुंचना है तो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना है । मेरा उनसे निवेदन है कि मेरी बात को समझते हुए इस संकल्प को वापस लें और यह संकल्प करें कि हमें शीघ्र ही संसद में इसको पारित करने का अवसर प्राप्त हो ।

SHRI EDUARDO FALEIRO : Sir, I am on a point of order. The Minister has replied to various points. While speaking, I had made a specific point. The construction of Parliament Library is going on and the labour engaged there is partly bonded iabour and there is violation of labour laws. I am prepared to give evidence in support of these allegations. Will the Minister look into it and ask me to give evidence with full facts? *...(Interruptions}...*

डॉ. सत्यनारायण जटिया: माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, हम जरूर जांच करेंगे ।

THE VICE-CHAIRMAN {SHRI SURESH PACHOURI): Now, the mover of the Resolution, Shri Nagendra Nath Ojha.

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा :मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस संकल्प पर अपनी राय रखी है । मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साफगोई के साथ आश्वासन दिया है और जब वे बोल रहे थे तो मैं समझ रहा था कि उनके दिल में मजदूरों के लिए , दलितों के लिए जरूरतमंदों के लिए और खेत मजदूरों के लिए स्थान हैं पीड़ा है । मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि जब माननीय रवीन्द्र वर्मा जी श्रम मंत्री थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, अन्जैया जी जब श्रम मंत्री थे उन्होंने भी आश्वासन दिया था, संगमा जी श्रम मंत्री थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था और जब माननीय रामविलास पासवान जी श्रम मंत्री थे, उस जमाने में भी आश्वासन दिया था । जहां तक मुझे ध्यान है कि सभी ने कहा था कि जल्दी कानून बनेगा । इस मामले में आपने संयम बरतते हुए साफगोई के साथ कहा है , उसकी मैं ताईद करता हूं और इसके लिए धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि उनके मन में जल्दी का जो अर्थ है उसी अर्थ में कम से कम इतना तो जरूर कहा है कि जल्दी का मतलब तीन साल या पांच साल नही है, इसी सरकार के अंदर आप इसे लाने की कोशिश करेगें । मैं चाहूंगा कि अगर वे बिल्कुल लाना चाहते हैं तो जरुर लाएं । ...**(व्यवधान)**... महोदय , मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि जहा असल दिक्कत आ पड़ी है और बाधा खड़ी हो गई है, वह मामला पैसे का है क्योंकि 1998 में भी श्रम मंत्रालय ने जो बताया और कहा था कि इस कानून के अंदर जो कल्याण कोष का प्रावधान होगा उस पर सिर्फ जीवन बीमा और मैडिकल फैसिलिटीज को ही अगर लिया जाए तो तीन सौ करोड़ का प्रावधान करना पड़ेगा और हम समझते हैं कि उसको कैसे प्राप्त किया जाए , सेस लगाया जाए क्या उपाय किया जाए, इसी पर बहस होती रह गई और वह नही हुआ था । तो यह एडिक्वेट फंड व कल्याण कोष का प्रावधान निश्चित रहे और उस एडिक्वेट फंड के लिए जो उपाय सरकार कर सकती है, करना चाहिए । इसका उल्लेख मैंने इसलिए किया कि यह सम्पदा गरीबों के यहां आने में हिचकती है और जहां इसका मामला आ जाता हैं वहां सबकुछ हिचक जाता हैं । हमारे देश के क्रांतिकारी कवि गोपाल सिंह नेपाली रहे हैं । मैं उन्हीं की कविता के साथ समाप्त करना चाहूंगाः

जब दूर कुटि के घेरे से आजादी की परिभाषा है

जनतंत्र कहो या एकतंत्र यह सारा तंत्र तमाशा है ।

हिचकी लेते रहते निर्धन, संपदा हिचकती रहती है

झोंपड़ियों से चांदनी लिपट भर रात सिसकती रहती है ।

जब संपदा उन तक जाने की बात आनी है तो वह भी हिचकती रहती है और यहां भी मामला वहां अटका हुआ है । अगर धन देने की बात नहीं होती , कल्याण कोष की बात नहीं होती है तो शायद यह पास हो जाता । अंत में मैं श्रम मंत्री जी निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल कम से कम लोकसभा और राज्यसभा में पेश तो कर दीजिए, इस पर बहस तो हो । उसके बाद जो संशोधन आएगा, विचार आएगा जो राय होगी उसके अनुसार इसमें प्रावधान किए जाएंगे । मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा करेंगे । आपने आश्वासन दिया है तो मैं इस प्रस्ताव को वापिस लेता हूं ।

The Resolution was, by leave, withdrawn

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, I adjourn the House till Monday, the l8m December, 2000.

The House then adjourned at twenty-one minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 18th December, 2000.